92

152

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)
सतपुडा भवन म0प्र0 भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक एफ–05/10–10/2011/2817 भोपाल, दिनांक-17-8-2011

पृ.क्र.-	
पिछला	अगला

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,

भोपाल–वृत्त–भोपाल,

मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 में आरामशीन की परिभाषा के संबंध में।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक/राजस्व/2011/3224 दिनांक 8–7–2011.

उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि वर्तमान में प्रभावी मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा–2 में संशोधन वर्ष 2003 में किया गया था, जिसकी छाया प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। इसकी धारा–2 (च) निम्नानुसार परिभाषित है :–" आरा मिल " से अभिप्रेत है ऐसा संयंत्र और मशीनरी जिससे, और ऐसा परिसर जिसके अन्तर्गत उसकी प्रसीमाएं भी आती हैं जिसमें या जिसके किसी भाग में काष्ठ की चिराई विद्युत या यॉत्रिकी शक्ति की सहायता से की जाती है किन्तु इसमें चक्राकार आरा (कटर) , जिसका व्यास (डायामीटर्स) , बारह इंच से अधिक न हो, वर्मा (ड्रिल) टर्निगं मशीन, रुंदा (प्लेनर) , छोटा आरा मशीन (जिग सा मशीन) तथा बीडिगं टूल्स सम्मिलित नहीं हैं "

अर्थात छोटी आरामशीन ही Jig Saw मशीन है। स्पष्ट है कि वर्तमान में छोटी आरामशीन Jig Saw मशीन को ही माना जायेगा। तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। आरामशीन की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिये संशोधन शासन के पास विचाराधीन है। शासन से निर्देश प्राप्त होने के बाद समस्त को सूचित किया जावेगा।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

17/8

(आर0 पी0 सिंह)

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश भोपाल

O/C

D:\imp data\drive e\Prajapati-1\CCF (prot) 10